

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOCu/2/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: 06/07/2023

प्रेषित: खान एजेंट,  
खेतडी कापर खान,  
मेसर्स हिंदुस्तान कापर लिमिटेड,  
पोस्ट: खेतडी नगर,  
जिला: झुन्झुनू (राजस्थान),  
पिन: 333504.  
(e-mail: [sree\\_k@hindustancopper.com](mailto:sree_k@hindustancopper.com))

विषय: राजस्थान राज्य के झुन्झुनू जिले में स्थित आपकी खेतडी कापर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालय के डा. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 08.06.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation			
<b>11</b> <b>(1)</b>	<b>(i) Exploration</b>			
	<b>Proposed Exploration</b>		<b>Actual Exploraton</b>	
	<b>Meterage</b>	<b>Holes</b>	<b>Meterage</b>	<b>Holes</b>
	<b>4800m</b>	<b>62</b>	<b>4436m</b>	<b>40</b>
	It shows that underground exploration has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total exploration also.			
	<b>(ii) Development</b>			
	<b>Level</b>	<b>Proposed Development (Meter)</b>		<b>Actual Development (Meter)</b>
	180 mRL	0		14.5
	120 mRL	900		922.27
	60 mRL	2760		1344.75
	0 mRL	2420		970.71
	-60 mRL	760		0
	Others	374		0
	<b>TOTAL</b>	<b>7214</b>		<b>3252.23</b>
	It shows that underground development has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total development also.			
<b>(iii) Production</b>				
<b>Proposed (Tonnes)</b>		<b>Actual(Tonnes)</b>		
1090000		707786		
It shows that underground production has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall of about 35% in the total production also.				

	(iv) Waste dump management has not been carried out as per approved proposal.
<b>31(4)</b>	Plan & Sections required to be kept under these rules have not been maintained up to date within three months.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)  
उप खान नियंत्रक (OIC)  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, झुन्झुनू ।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (OIC)  
भारतीय खान ब्यूरो